



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./58/2024/MDH/ 44 /Accom. Sec.

दिनांक-10/07/2025

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न चिकित्सकों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

Sl. No.	Name	Designation	Department	Session	Quarter type
1.	Dr. Mritunjay Kumar	DM-1	Gastroenterology	2024-2027	Old MDH- 2/3
2.	Dr. Priyanka Anand	DM-1	Neurology	2024-2027	New MDH-21
3.	Dr. Ajay Chaudhary	M.Ch-1	Urology	2024-2027	New MDH- 06
4.	Dr. Kailash Kumar Singh	DM-2	Nephrology	2023-2026	Old MDH- 22

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

- नोट**
1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
 2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह० /—

डॉ० (प्र०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक-10/07/2025

ज्ञापक:- Q.A./58/2024/MDH/44 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- उक्त चिकित्सकों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

डॉ० (प्र०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./46/2021/46 /Accom. Sec.

दिनांक- 22/07/25

(शुद्धिकरण पत्र)

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मीना देवी, ऑफिस अटेंडेंट, कॉलेज ऑफ नर्सिंग को संस्थान में आवंटित आवास सं० A Type- 4/1 समर्पण के पश्चात् पत्रांक Q.A./46/2021/27/Accom.Sec दिनांक 30/04/2025 के द्वारा इन्हें आवास भत्ता की भुगतान करने हेतु अनुमति प्रदान किया गया था। परंतु इनका नाम मीना देवी के स्थान पर श्रीमति मीना होना चाहिए था।

अतः इसलिए मीना देवी के नाम में शुद्धिकरण कर श्रीमति मीना किया जाता है।

ह० /—

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन,
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना- 14

ज्ञापक:-Q.A./46/2021/46 /Accom. Sec.

दिनांक- 22/07/25

प्रतिलिपि:- श्रीमति मीना, ऑफिस अटेंडेंट, कॉलेज ऑफ नर्सिंग /निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


22/07/25

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना-14





इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना- 14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./67/2025/47/Accom. Sec.

दिनांक-04/08/2025

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Sunil Kumar, JMLT, Biochemistry को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 08.07.2025 के आलोक में आवास सं० B Type- 1/5 तत्काल प्रभाव से इन्हें आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रह की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देव अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंट हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से संपर्क करें।
- (2) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से संपर्क करें।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गा०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापक:- Q.A./67/2025/47/Accom. Sec.

दिनांक-04/08/2025

प्रतिलिपि:- Sunil Kumar, JMLT, Biochemistry/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

[Signature]
04/08/25

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गा०आ०सं०, पटना-14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



इन्दिरा गौंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./62/2024/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Biswapradip Biswas, Assistant Store officer, Store को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 02/08/2024 के आलोक में आवास सं० New B Type- 304 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से संपर्क करें।
- (2) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से संपर्क करें।

हस्ताक्षर-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 04/09/25

ज्ञापक:- Q.A./62/2024/ 51 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Biswapradip Biswas, Assistant Store officer, Store/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्ष अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./58/2024/MDH/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न चिकित्सकों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अं आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

Sl. No.	Name	Designation	Department	Session	Quarter type
1.	Dr. Naman Kumar Gupta	DM-1	CCM	2024-2027	New MDH- 06
2.	Dr. Aditi Singh	DM-1	Nephrology	2024-2027	New MDH- 31

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्त को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं जायेगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु 1 माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

J. K. D.
29/08/25

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापक:- Q.A./58/2024/MDH/ 50/Accom. Sec.

दिनांक- 29/08/2025

प्रतिलिपि:- उक्त चिकित्सकों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

J. K. D.
29/08/25

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आ०सं०, पटना-14

received
29/08/25



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

दिनांक—

पत्रांक:—Q.A./65/2024/ /Accom. Sec.

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न चिकित्सकों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकि आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:—

Sl. No.	Name	Designation	Department	Session	Quarter type
1.	Dr. Brajesh Yadav	DNB-2	Emergency Medicine	2024-2027	Old PG Hostel- 4
2.	Dr. Krishna Murari	DNB-1	Emergency Medicine	2024-2027	Old PG Hostel- 2
3.	Dr. Akshay Santosh Mahale	DNB-1	Emergency Medicine	2024-2027	Old PG Hostel- 1

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्ष को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह०/—

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक— 28/08/2025

ज्ञापांक:— Q.A./65/2024/ 49/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:— उक्त चिकित्सकों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

[Signature]
28/08/25

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

received



इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:—Q.A./65-A/2025/ 56/Accom. Sec.

दिनांक— 19/09/2025

सेवा में,

वित्तीय सलाहकार,

इ०गौ०आ०सं०, पटना—14

विषय:— सत्र (2024–2027) के पी0जी0 छात्र एवं छात्राओं को छात्रावास/आवास की अनुपलब्धता के एवज/प्रतिफल में आवास भत्ता निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के आलोक में सूचित करते हुए कहना है कि संस्थान में PG के छात्र एवं छात्राओं ने सत्र (2024-2027) में नामांकन लिया है। उक्त छात्र—छात्राओं ने संस्थान में आवास आवंटन के आलोक में आवेदन दिया है, परंतु आवास की उपलब्धता न होने के कारण इनको आवास आवंटित नहीं किया जा सका है, जो नाम इस प्रकार है:—

**1st Yr.PG Students who have applied for allotment of accommodation but have not got the accommodation yet.
Session (2024-2027)**

Sl no.	Candidate Name	Designation	Department	Date of Joing	Apply Date	Session
1	Dr. Soumita Biswas	JR1	Anaesthesiology	15-01-2025	04-02-2025	2024-2027
2	Dr. Gowrishankar	JR1	Anaesthesiology	20-01-2025	09-02-2025	2024-2027
3	Dr. Rishabh Kumar	JR1	Paediatrics		10-02-2025	2024-2027
4	Dr. Ansari Danish Akram	JR1	ENT	10-02-2025	10-02-2025	2024-2027
5	Dr. Shivani Kumari	JR1	Dermatology	06-01-2025	14-02-2025	2024-2027
6	Dr. Avish Makkar	JR1	Dermatology	10-02-2025	14-02-2025	2024-2027
7	Dr. Nikhil Sharma	JR1	Dermatology	07-02-2025	14-02-2025	2024-2027
8	Dr. Pallavi Kumari	JR1	Anaesthesiology	12-02-2025	13-02-2025	2024-2027
9	Dr. S Subash	JR1	Fornensic Medicine	14-02-2025	17-02-2025	2024-2027
10	Dr. Pushpal Prasoon	JR1	General Surgery	06-02-2025	18-02-2025	2024-2027
11	Dr. Smriti Kumari	JR1	Anaesthesiology	13-02-2025	27-02-2025	2024-2027
12	Dr. Priyanka Kumari	JR1	Anaesthesiology	14-02-2025	17-03-2025	2024-2027
13	Dr. Shalini Das	JR1	Biochemistry	12-02-2025	18-03-2025	2024-2027
14	Dr. Sameer Verma	JR1	Biochemistry	06-02-2025	18-03-2025	2024-2027
15	Dr. Sunil Kumar	JR1	Biochemistry	05-03-2025	18-03-2025	2024-2027
16	Dr. Kaushikee	JR1	Community Medicine	25-01-2025	22-03-2025	2024-2027
17	Dr. Anshuman Sinha	JR1	Community Medicine	25-01-2025	22-03-2025	2024-2027
18	Dr. Shashikant Choudhary	JR1	Community Medicine	25-01-2025	22-03-2025	2024-2027
19	Dr. Anita Kumari	JR1	Biochemistry	20-03-2025	22-03-2025	2024-2027
20	Dr. Vikash Kumar	JR1	Radio diagnosis	14-01-2025	24-03-2025	2024-2027
21	Dr. Ashutosh Anand	JR1	Radio diagnosis	14-01-2025	24-03-2025	2024-2027
22	Dr. Arsalaan Mohammad	JR1	Radio diagnosis	14-01-2025	24-03-2025	2024-2027
23	Dr. Bazla Nazir	JR1	Pharmacology	06-01-2025	24-03-2025	2024-2027
24	Dr. Md. Faiz Akram Imam	JR1	Physiology	10-01-2025	24-03-2025	2024-2027
25	Dr. Trisha Priyadarshinil	JR1	Pharmacology	13-01-2025	24-03-2025	2024-2027

74	Dr. Nibha Kumari	JR1	Pulmonary Medicine	22-03-2025	17-05-2025	2024-2027
75	Dr. Ashutosh Kumar	JR1	General Surgery	10-02-2025	03-06-2025	2024-2027
76	Dr. Sonam	JR1	Obs & Gynae	09-01-2025	27-05-2025	2024-2027
77	Dr. Suman Kumari	JR1	Pathology	11-04-2025	29-05-2025	2024-2027
78	Dr. Kshitij Raj	JR1	General Medicine	11-02-2025	20-06-2025	2024-2027
79	Dr. Abhay Prakash	JR1	General Medicine	07-01-2025	26-06-2025	2024-2027
80	Dr. Afreen Hoda	JR1	General Medicine	07-01-2025	26-06-2025	2024-2027
81	Dr. Nidhi	JR1	Obs & Gynae	01-02-2025	01-07-2025	2024-2027
82	Dr. Shivangi Narayan	JR1	Obs & Gynae	11-02-2025	26-08-2025	2024-2027
83	Dr. Saloni Saini	JR1	Obs & Gynae	07-02-2025	01-09-2025	2024-2027
84	Dr. Suvercha	JR1	Paediatrics	13-02-2025	17-09-2025	2024-2027
85	Dr. Manish Priya	JR1	Paediatrics	11-02-2025	17-09-2025	2024-2027
86	Dr. Amrita Bharti	JR2	JR2, Obs & Gynae	30-09-2023	01-05-2025	2024-2027

दिनांक 23/05/2025 को आवासीय सलाहकार समिति की बैठक के मद संख्या-4 में लिए गये निर्णय के आलोक में एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्त पोस्ट ग्रेजुएट छात्र-छात्राओं को नियमानुसार आवास आवंटन हेतु आवेदन अर्पण की तिथि से आवास भत्ता देने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः उक्त PG छात्र-छात्राओं को संस्थान परिसर में आवास आवंटन न होने के उपरान्त आवेदन अर्पण की तिथि से आवास भत्ता निर्गत किया जा सकता है। यदि भविष्य में संस्थान में कोई आवास रिक्त होता है या आवास उपलब्ध होता है तो उक्त PG छात्र-छात्राओं को क्रमानुसार आवास आवंटित किया जाएगा, जिसके लिए वे नियमानुसार बाध्य होंगे तथा आवंटन की तिथि से उनका आवास भत्ता कटौती किया जाएगा।

उक्त के आलोक में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

प्र० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति

इ०गा०आयु०सं०, पटना

दिनांक— 19/09/2025

ज्ञापक:— Q.A./65-A/2025/ 56 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:— सभी PG छात्र-छात्राएँ/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्र० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गा०आयु०सं०, पटना



इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./60/2024/ 52/Accom. Sec.

दिनांक- 16/09/2025

कार्यालय आदेश

Dr. Abhay Kumar, Assistant Professor, Trauma & Emergency को सूचित किया जाता है कि Trauma & Emergency अति संवेदनशील एवं अति आवश्यक विभाग के अंतर्गत आता है, जिसके कारण सक्षम पदाधिकारी ने आपको संस्थान से बाहर आवासित होने की अनुमति खारिज कर दिया है। इसलिए आवास भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गो०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 16/09/2025

ज्ञापांक:- Q.A./60/2024/ 52/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Dr. Abhay Kumar, Assistant Professor, Trauma & Emergency/निदेशक कोषांग/चिकित्सा
अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन
शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

J. G. D.
16/09/25

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत यह सूचित किया जाता है कि आवास भत्ता की कटौती संस्थान में आवंटित आवास अधिग्रहण की तिथि से किया जायेगा। आवास अधिग्रहण से संबंधित सूचना अधीक्षण अभियंता (सिविल), लेखा पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगे।

ह0/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गों०आयु०सं०, पटना

दिनांक-18/09/25

ज्ञापांक:- Q.A./59/2024/ 55/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपी:- अधीक्षण अभियंता (ब्रायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गों०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत यह सूचित किया जाता है कि संस्थान से यदि कोई पदाधिकारी/अधिकारी/डॉक्टर्स/कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, तो बिना आवंटित आवास संस्थान में समर्पित किये बगैर “नो इयूज” नहीं किया जाएगा।

ह0/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गो०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 18/09/2025

ज्ञापांक:- Q.A./59/2024/53/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गो०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/54/Accom. Sec.

दिनांक- 18/9/25

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत यह सूचित किया जाता है कि JR/SR का सत्र समाप्त होने के उपरांत बिना छात्रावास/आवास संस्थान में समर्पित किये बगैर “नो ड्यूज” नहीं किया जाएगा।

ह०/-

डॉ० (प्र०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गो०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 18/09/25

ज्ञापांक:- Q.A./59/2024/54/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


18/09/25

डॉ० (प्र०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./60/2024/ 65/Accom. Sec.

दिनांक- 03/11/2025

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Infant Rani Augustin, Associate Professor, IGIMS- College of Nursing को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 13.10.2025 के आलोक में आवास संख्या Old D Type- 3/2 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से संपर्क करें।
- (2) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से संपर्क करें।

ह०/-

डॉ० (प्र०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 03/11/2025

ज्ञापांक:- Q.A./60/2024/ 65/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Infant Rani Augustin, Associate Professor, IGIMS- College of Nursing/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

डॉ० (प्र०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना- 14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./58/2024/MDH/ 64 /Accom. Sec.

दिनांक-30/10/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Dr. Syed Sharjil Anees, DM-1, Pharmacology को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 09.10.2025 के आलोक में इन्हें प्रथम बदलाव के तहत आवंटित आवास संख्या New MDH- 35 को रह करते हुए, आवास सं० Old MDH-4/3 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अथोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

- नोट** 1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह0/-

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापांक:- Q.A./58/2024/MDH/ 64 /Accom. Sec.

दिनांक- 30/10/2025

प्रतिलिपि:- Dr. Syed Sharjil Anees, DM-1, Pharmacology / निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी /प्रशासन शाखा/लेखा शाखा/सुरक्षा प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


30/10/25

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14





इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:—Q.A./60/2024/ /Accom. Sec.

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Dr. Satish Kumar, Assistant Professor, Neuro medicine को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 29.10.2025 के आलोक में आवास संख्या Old D Type- 5/6 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से संपर्क करें।
- (2) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से संपर्क करें।

ह०/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

दिनांक-15/11/2025

ज्ञापांक:— Q.A./60/2024/66/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Dr. Satish Kumar, Assistant Professor, Neuro medicine/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


15/11/25



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:—Q.A./60/2024/68/Accom. Sec.

दिनांक- 20/11/2025

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Infant Rani Augustin, Associate Professor, IGIMS- College of Nursing को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 11.11.2025 के आलोक में आवास संख्या Old D Type- 3/2 को रद्द करते हुए, आवास सं० Old D Type- 4/6 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है। इसे प्रथम बदलाव नहीं माना जाएगा।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से संपर्क करें।
- (2) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से संपर्क करें।

ह०/-

डॉ० (प्र०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

दिनांक- 20/11/2025

ज्ञापक:— Q.A./60/2024/68/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Infant Rani Augustin, Associate Professor, IGIMS- College of Nursing/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/11/25

डॉ० (प्र०) संजय कुमार सुमन



इन्दिरा गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./65-A/2025/69/Accom. Sec.

दिनांक-20/11/2025

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न चिकित्सकों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

Sl. no.	Name	Designation	Department	Quarter Type
1.	Dr. Vidisha Bhargava	JR1	ENT	A Type (PG Quarter) A- 204
2.	Dr. Devopriyo Das	JR1	Radio diagnosis	A Type (PG Quarter) B- 202
3.	Dr. V. Gowri Shankar	JR1	Anaesthesiology	A Type (PG Quarter) B- 204
4.	Dr. Devanshu Ranjan	JR1	Anaesthesiology	A Type (PG Quarter) B- 104

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह0/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14

दिनांक- 20/11/2025

ज्ञापांक:- Q.A./65-A/2025/69/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- उक्त पी०जी० छात्र एवं छात्राओं/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

[Signature]
20/11/25

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

Received